राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प.5(8)नविवि/3/99 जयपुर, दिनांक:- 16.2.2002

आदेश

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-बी की उपधारा (3) के तहत कृषि भूमि के आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु भूमि को समर्पित कर आवंटन कराने का प्रावधान है। कई मामलों में भूमि के समर्पण अर्थात धारा 90-बी की कार्यवाही बिना योजना प्रस्तुत किये तथा उसका तकनीकी परीक्षण कराये पूर्ण कर ली जाती है। परिणामत: ऐसे प्रकरणों में धारा 90-बी के अन्तर्गत भूमि सिवाय चक घोषित होने पर स्थानीय निकाय के खाते में चढ जाने के उपरान्त भी उक्त भूमि को तकनीकी रूप से आवासीय/वाणिज्यिक योजना की स्वीकृति योग्य नहीं मानने के कारण नियमन नहीं किया जाता है। इससे काश्तकारों/भूधारकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा स्थानीय निकायों को भी कानूनी पेचीदगियों से उलझना पड़ता है अत: प्रकरण का समग्रता से विचार करके यह निर्देश दिये जाते हैं कि

1- खातेदारों/सहकारी समितियों की आवासीय प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होने वाली रिक्त भूमि रूपांतरण/नियमन हेतु धारा 90 बी के अंतर्गत कार्यवाही करने से पूर्व उक्त जमीन का तकनीकी दृष्टि से ले आउट प्लान संबंधित निकाय द्वारा पहले अनुमोदित करने के संबंध में निर्णय करना होगा।

2- यदि किसी भूभाग पर अधिकांशत: निर्माण पूरा हो चुका है या कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्रफल में भवन निर्मित हो चुके हैं और खातेदार अथवा गृह निर्माण सहकारी समिति जैसी स्थिति हो; ने मूलभूत सुविधाओं के लिए भूभाग छोड रखे हैं ऐसे मामलों में 90 बी की कार्यवाही बाकी जाती भूखण्डों के संबंध में ले आउट प्लान लेने के साथ-साथ करवाई जा सकती है।

3- उस स्थिति में जहाँ अधिकांश: लोगों ने प्लाट लिये हैं और वे निवास कर रहे हैं तथा उस कॉलोनी में 50 प्रतिशत से अधिक मकान बन चुके हैं ऐसे मामले में भी अधिकांश: भूखण्डधारकों के प्रकरणों में 90 बी की कार्यवाही की जा सकेगी।

आज्ञा से,

16-2-02
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।